राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/ 9940 दिनांकः 03.10.2026

शासन सचिव
ऊर्जा विभाग, राजस्थान
जयपुर।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 मतदान/मतगणना दिवस पर विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 हेतु कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम एवं चरणवार पंचायत समितियों की सूची पत्र के साथ संलग्न है।

मतदान/मतगणना दिवस को मतदान केन्द्रों एवं मतगणना स्थल पर मतदान एवं मतगणना कार्य सुचारू एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति आवश्यक है।

अतः इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में मतदान/मतगणना दिवस को निर्बाध विद्युत आपूर्ति रखने हेतु संबंधित कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करावें एवं इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेश की प्रति आयोग को भिजवाये जाने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/ 9941-46 दिनांकः 03.10.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर), राजस्थान।
6. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

उप सचिव